

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

थी न्यूनता विपक्षी उदरला
कस्म मुकदमा अपील पत्रावली संख्या 22 सन् 19

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	<p>21/5/24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा कोशजस्थान काश्तकारी भविष्यम 1955 को सुननेका क्षेत्राधिकार हो चूकें अपील धारा-75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आती है एषमं न्यायालय द्वारा को इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पुनः लौघया जा रहा है प्रकरण मजाम्नी पेशी दिनांक 2/7/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">lmj</p>	

